सीसीटीएनएस/अति महत्वपूर्ण।

पुलिस मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ

1–तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांकः टीएसक्यू–02–2018 (अवमानना–2049/2018) दिनांकः सितम्बर 17, 2018

सेवा में,

समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः–सीसीटीएनएस पोर्टल पर "प्राथमिकी देखें" (View-FIR) व्यवस्था के दृष्टिगत डीजी परिपत्र संख्याः 75/2015 दिनांक 09.12.2015 के अनुपालन विषयक।

सन्दर्भः–समांक पत्र दिनांकित 29.08.2018

ज्ञातव्य हो कि सीसीटीएनएस पोर्टल पर अपराधियों से सम्बन्धित सूचनायें दर्ज करने की व्यवस्था है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ द्वारा व्यू–एफ0आई0आर0 के संदर्भ में अप्रसन्नता जाहिर की गयी है, इसमें अवमानना याचिका सं0 2049/2018 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच लखनऊ में प्रचलित है। उक्त वाद में कतिपय थानों में कुछ प्रथम सूचना रिपोर्ट व्यू–एफ0आई0आर0 में प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। मा0 उच्च न्यायालय में व्यू0–एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया गया है।

2. उक्त के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा डीजी परिपत्र संख्याः75/2015 दिनांक 09.12.2015 जारी किया गया है। व्यू–एफ0आई0आर0 के दृष्टिगत साफ्टवेयर में ही अपेक्षित परिवर्तन करा दिया गया है ताकि उक्त आदेश का अनुपालन स्वतः ही हो सके, साथ ही "सीसीटीएनएस साफ्टवेयर पर एक जघन्य अपराध का अन्य ऑपशन" भी जोड़ दिया गया है, जिसे एफ0आई0आर0 पंजीकरण के समय टिक करने पर

वह प्रथम सूचना रिपोर्ट व्यू–एफ0आई0आर0 में प्रदर्शित नहीं होगी। कतिपय थानों द्वारा भूल–वश अन्य अपराधों को भी जघन्य श्रेणी में टिक कर दिया जा रहा है, जिससे आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

3. अतः उक्त सुविधा केवल वैसे जघन्य अपराधों के लिये है, जिसे जनपदीय पुलिस अधीक्षक व्यू–एफ0आई0आर0 में किन्हीं कारणों से प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं। सभी जनपदीय पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त के सम्बन्ध में सभी थानाध्यक्षों की मासिक गोष्ठियों में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर निर्देशित कर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

4. इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि जनपद प्रभारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से सम्बन्धित कम्प्यूटर आपरेटर, जनपदीय अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहित क्षेत्राधिकारियों को अनुपालन करने के लिए जागरूक करने के लिए निर्देशित करें साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें।

5. प्रत्येक परिक्षेत्र से एक अपर पुलिस अधीक्षक को तकनीकी सेवाएँ मुख्यालय पर बुलाकर इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो फिर अपने रेंज के अन्य अपर पुलिस अधीक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। इसी प्रकार फिर प्रत्येक जिले में क्षेत्राधिकारी तथा थाना स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीनस्थ अधिकारियों का समुचित प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करें तथा क्षेत्राधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाएँ।

6. ज्ञातव्य है कि सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी प्रत्येक जिले में अपर पुलिस अधीक्षक हैं ही। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें।

17.9.18

(ओ0 पी0 सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को उपरोक्त अवमानना के क्रम में सूचनार्थ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

3. श्री कृष्ण मुरारी/ रामदूत, सुश्री तरू माथुर, प्रोग्रामर ग्रेड–2 उत्तर प्रदेश पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे इस सम्बन्ध में समस्त कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) को अपेक्षित सहयोग प्रदान कर अनुपालन कराना सुश्निचत करें।
4. श्री दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए), उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
5. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल/वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।